न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 67/2020
जीसीएमएस नं. : 2020/00122

1. लाजपत राम पुत्र बगुराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 8 रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज..............(मृतक)
   1/1. रविन्द्र छाबड़ा } पुत्र लाजपत राम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 8
   1/2. अभिषेक } रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. नानूराम पुत्र सरदाराराम जाति बावरी निवासी 19 एएस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. तरसेम सिंह पुत्र लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 57 जीबी तहसील अनूपगढ़
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व एवं भू अ. श्रीविजयनगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री नवीन मिढा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. एपक्षीय कार्यवाही, अप्रार्थी सं. 2
4. राजपैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसील श्री विजयनगर के चक 19 ए.एस में स्थित पत्थर नम्बर 232/464, मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 5–6–14–15–17 सालम–सालम कुल 1.2650 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जो कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड टीनेन्ट है तथा इसी चक के उक्त पत्थर नम्बर 232/464, मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 1/1 ता 4 किला नम्बर 7 ता 13 तथा किला नम्बर 18 ता 24 की कुल 4.4280 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 नानूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तथा इसी उक्त मुरब्बाजात नम्बर 5 का किला नम्बर 16 वा 25 सालम–सालम कुल 0.506 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि अप्रार्थी सख्या 2 तरसेम सिंह के नाम से बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 नानूराम के नाम दर्ज उक्त रकबा के किलाजात संख्या 1–10–11–20–21 की भूमि जो कि चक 19 ए.एस. वा चक 20 ए.एस. को जाने स्वीकृतशुदा मुख्य पक्की डामर सड़क से चिपते हुऐ स्थित है। प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चक 19 ए.एस. में स्थित पत्थर नम्बर 232/464, मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 5–6–14–15–17 सालम–सालम इस प्रकार कुल 1.2650 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में काश्त हेतु आने–जाने एव कृषि उपज [illegible] करने के लिए कोई रास्ता (मार्ग) नही होने के कारण प्रार्थी को [illegible]धिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिस पर प्रार्थी [illegible] 1 नानूराम को आग्रह किया कि वह अपने उक्त मु[illegible] नम्बर 20–19–18 [illegible] (जो अप्रार्थी संख्या 1 नानूराम के किलाजात संख्या [illegible]21–22–23 की उत्त[illegible] की सीमा रेखा के साथ चिपते हुऐ) में से सवा आठ फुट चौडाई में और तीन बीघा लम्बाई में भूमि रास्ता हेतु देवे ताकि इस मार्ग से प्रार्थी अपने उक्त मुरब्बाजात के किलाजात सख्या 17 में प्रवेश कर आगे अपने किलाजात संख्या 5–6–14–15–17 की भूमि में प्रवेश कर सके जिस पर अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:04 IST
Reason: SelfAttested

नानूराम ने प्रार्थी से यह कहा कि यदि वह उक्तानुसार अपने किलाजात संख्या 20–19–18 की भूमि मे से मार्ग प्रार्थी को देता है तो उसकी भूमि दो भागो में विभाजित हो जावेगी जिस कारण आज से करीबन 2 वर्ष पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 नानूराम के मध्य आपसी सहमति से यह तैय हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने उपरोक्त मुरब्बाजात संख्या 5 के किला संख्या 1–2–3–4 की भूमि के उत्तर साईड से सीमा रेखा के साथ–साथ सवा आठ फुट चौड़ाई में एंव चार बीघा लम्बाई तक की भूमि को मार्ग के रूप में प्रार्थी को उसकी उक्त कृषि भूमि के किला संख्या 5–6–14–15–17 की भूमि में आने जाने के लिऐ देगा। प्रार्थी वा अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से भविष्य में उक्तानुसार ही रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाया जाना तैय हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी वा अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य हुई आपसी सहमति के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा उसी वक्त अप्रार्थी संख्या 1 नानूराम के उक्त रकबा के किला संख्या 1–2–3–4 की भूमि की जगह में उत्तर साईड में सीमा रेखा के साथ–साथ सवा आठ फुट चौड़ाई में एंव चार बीघा लम्बाई तक की भूमि में एक मार्ग प्रार्थी ने अपने स्वय के खर्चा पर मिट्टी डालकर तैयार किया गया। चूंकि किला नम्बर 1 ता 4 की भूमि का मार्ग के रूप में उपयोग करने के कारण पशुओ से सुरक्षा बाबत प्रार्थी ने एक लोहे का गेट भी लगवाया है। इस प्रकार प्रार्थी स्वीकृतशुद्धा मुख्य पक्की डामर सड़क से आगे उक्त किला संख्या 1–2–3–4 की भूमि में बनाये मार्ग को अपने किला संख्या 5–6–14 15–17 में आने–जाने, कृषि उपज वा औजार को परिवहन करने के लिऐ उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 नानूराम को कई मरतबा निवेदन किया जाता रहा है कि आपसी सहमति के आधार पर चक 19 ए.एस. के पत्थर नम्बर 232/464, मुरब्बा नम्बर 5 के किलाजात संख्या 1–2–3–4 में चल रहे उपरोक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने बाबत सक्षम राजस्व कर्मचारीयो के समक्ष बयान देकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा लेते है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 नानूराम प्रार्थी को हर बार यह कहकर आश्वास्त करता रहा कि मैंने तुम्हे रास्ता बाबत भूमि दे रखी है और उसमें रास्ता भी चल रहा अब आपको किसी प्रकार की कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नही है जब कभी भविष्य में ग्राम पंचायत कार्यालय पर राजस्य कैम्प लगेगा तो उस समय राजस्व कर्मचारियो के समक्ष सहमति बाबत बयान देकर उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा लेगे जिस पर प्रार्थी सद्भाविक रूप से विश्वास करता रहा और उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग करता रहा। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि के उपरोक्त किलाजात में सब्जी का बीजान करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 वा उसके परिवार के सदस्य जब भी अपने उक्त रकबा में सार सम्भाल करने आते है तो वह प्रार्थी के रकबा के किलाजात में आकर प्रार्थी की बिजान की हुई सब्जी को बार–बार उखाड कर प्रार्थी को नुकसान कारित करते है जिस बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 वा उसके परिवार को इस बाबत कई बार उल्लाहना दिया की वह प्रार्थी की सब्जी की फसल को नुकसान नही पहुचाये इस बात को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 वा उसके परिवार के सदस्य प्रार्थी के साथ रंजिश रखने लगे है। दिनाक 19.11.2020 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क कर आग्रह किया कि वह अपने उपरोक्त वर्णित मुरब्बा नम्बर 5 पत्थर नम्बर 232/464 के किलाजात नम्बर 1–2–3–4 की भूमि के उत्तर साईड की सीमा रेखा के साथ–साथ सवा आठ फुट चौडाई में एव चार बीघा लम्बाई में चल रहे रास्ता [illegible] स्वीकृत करवाने में प्रार्थी का सहयोग करें तो वह ऐसा करने से स्प[illegible] रूप [illegible] ईन्कार हो गया और अप्रार्थी संख्या 1 वा उसके परिव[illegible] ऐलानिया धमकी दी की यदि प्रार्थी ने अब इस उ[illegible] कृषि भूमि में आने–जाने या कृषि उपज या उपकरण परिवहन करने का प्रय[illegible] किया तो यह उसे जान से मार देगे और उन्होंने प्रार्थी को यह भी ऐलानिया धमकी दी की वह शिघ्र ही अपने किलाजात संख्या 1–2–3–4 में चल रहे उक्त रास्ता की जगह पर पानी लगाकर उसमें बीजान्द कर रास्ता को हमेशा के लिए अवरूद्ध कर देगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:04 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा प्रार्थी के पास कोई विकल्प नहीं रहा है। बस यही विनाय मुखास्मत एव विनाय दावा प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 3 लैण्ड होल्डर है इसलिए उसे प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 वा उसके परिवारजन अपने उक्त अवैधानिक कृत्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नही रहेगा है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, काश्त करने, कृषि उपज वा उपकरण परिवहन करने से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 वा उसके परिवार के सदस्यो द्वारा दी गई उक्त धमकी के डर से अपनी भूमि की जुताई, बढ़ाई, देखभाल, काश्त हेतु कृषि यन्त्र वा औजार परिवहन नहीं कर पा रहा है इसलिऐ प्रार्थी के पास अब इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि वाके चक 19 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर के पत्थर नम्बर 232/464, मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 5–6–14–15–17 की कुल 1.2650 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी को काश्त करने हेतु आने–जाने वा कृषि उपज वा उपकरण लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज इसी चक के उक्त मुरब्बा नम्बर 5 पत्थर नम्बर 232/464 के किला नम्बर 1–2–3–4 से उत्तर साईड में पत्थर लाईन के साथ–साथ सवा आठ फुट चौडाई में एव चार बीधा लम्बाई तक की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवा कर उसका राजस्य रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में पहुँचने एंव आवागमन हेतु स्वीकृतशुद्वा विधमान मार्ग का अभाव है तथा उक्त वांछित रास्ता प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए लघुतम, सुगम आत्यान्तिक आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है और वांछित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत है इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का विधिक अधिकारी है। जिसके लिऐ प्रार्थी नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदाय करने को तैयार है। कृषि भूमि माननीय न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में स्थित है इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर गियाद पेश है। चक 19 एएस तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नम्बर 5, पत्थर नम्बर 232/464 के किला नम्बर 1–2–3–4 में उत्तर साईड में पत्थर लाईन के साथ–साथ सवा आठ फुट चौडाई में एंव चार बीघा लम्बाई मे रास्ता स्वीकृत किया जाकर उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को दिया जाने विकल्प में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के किला नम्बर 20–19–18 की भूमि (जो किला संख्या 21–22--23 की उत्तर दिशा की बट लाईन के साथ चिपते हुऐ) में से सवा आठ फुट चौडाई मे और तीन बीघा लम्बाई में भूमि मार्ग हेतु स्वीकृत फरमावे हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी लाजपतराम के नाम से चक 19ए.एस. का मु.न. 232/646 का कि.न. 5–6–14–15–17 की भूमि प्रार्थी लाजपतराम के नाम से दर्ज रिकार्ड नही है बल्कि उक्त भूमि एंव इसके साथ ही मुरब्बा नं. 4 का कि. न. 25 की भूमि जमाब[illegible] अभिषेक, रविन्द्र के नाम से दर्ज रिकार्ड है इसलिए प्रार्थी लाजप[illegible]सी प्रकार रास्ता की मॉंग करने का व अनवानो प्रार्थना [illegible] चूँकि रास्ता दिये जाने के प्रावधान खातेदार क[illegible] प्रार्थी लाजपतराम उक्त भूमि का खातेदार ही नहीं है तो अनवानी प्रार्थना [illegible]त्र चलने योग्य नहीं है। सडक जो प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित है वह मेरी ही भूमि मे से कटी हुई है जिसका विवरण जानबूझकर प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दिया गया है व बदयान्तिपूर्वक प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर माननीय न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी के मध्य किसी प्रकार की कोई सहमति रास्ता

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:04 IST
Reason: SelfAttested

बावत नहीं हुई है और न ही कभी भी मेरी भूमि से प्रार्थी ने प्रवेश किया है बल्कि वास्तविक तथ्य ये है कि प्रार्थी का परिवार रामसिंहपुर में निवास करता है जो कि प्रार्थी के रकबा की पूर्व दिशा की ओर 56 जीबी बी तहसील अनूपगढ की चक सीमा एंव 56 जीबी बी की भूमि है जो कि चक 56 जीबी बी का मु.न. 231/462 का कि. न. 1 में स्वीकृतशुदा रास्ता मौका पर चालू रास्ता है उक्त चालू स्वीकृतशुदा रास्ता जो रामसिंहपुर को जोडता है का उपयोग करके ही प्रारम्भ से प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन करता आ रहा है प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता रामसिंहपुर से बिल्कुल विपरीत दिशा में है उक्त आवेदित रास्ता से आवागमन हेतु पहले प्रार्थी को रामसिंहपुर से अपनी भूमि से भी काफी आगे जाना पडेगा उसके उपरांत वापिस आकर अपनी भूमि में प्रवेश कर सकेगा इस प्रकार वांछित रास्ता किसी प्रकार सुगम रास्ता व व्यवहारिक रासता नहीं है बल्कि 56 जीबी बी की भूमि मे से ही सुगम रास्ता है इसलिए भी प्रार्थी का प्राथना पत्र काबिले खारिजी के है। जहाँ प्रार्थी के द्वारा मिट्टी डालकर रास्ता बनाया जाना बताया गया है वह भूमि इसी मुरब्बा में कि.न. 1 ता 21 की लाईन पर चल रही सडक से करीब 4 फुट नीचे है एंव किसी प्रकार उक्त भूमि का रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग नहीं किया गया है और न ही संभव है। वहां पर मौका पर खेजडी, जण्डी आदि के वृक्ष खडे हुए है व फसल बिजान है जिससे स्पष्ट है कि समस्त तथ्य झूठे, मनगंढत प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किये जाकर न्यायालय को गुमराह कर रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रयास किया गया है जबकि प्रार्थी लाजपतराम न तो पैरा सं. 1 में वर्णित भूमि का खातेदार है न ही सहखातेदार है इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तुरन्त प्रभाव से खारिज किये जाने योग्य है। समस्त तथ्य झूठे, मनगंढत साजिशाना मात्र वाद कारण पैदा करने की गर्ज से दर्ज किये गये है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है। अप्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार प्रार्थी के खेत में अवैध प्रवेश कर फसल को नुकसान पहुँचाया जाता तो अवश्य ही प्रार्थी के द्वारा मुझ अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी चाराजोही में मुकदमा दर्ज करवाया गया होता जबकि ऐसा कुछ नहीं है जिससे स्पष्ट है कि समस्त तथ्य झूठे, बेबुनियाद आधारहीन मात्र प्रार्थना पत्र को रंग देने की गर्ज से दर्ज किये गये है। यदि मेरे द्वारा कोई जान से मारने की धमकी देकर अपराध कारित किया गया होता तो मेरे खिलाफ अवश्य ही फौजदारी कार्यवाही करते जो नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि समस्त तथ्य झूठे दर्ज किये गये है। प्रार्थी के द्वारा कभी भी मेरी भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में नही किया है और न ही वर्तमान मे कोई रास्ता कि.न. 1 ता 4 में चालू ही है बल्कि जिस सडक से कि.न. 1 से 4 में रास्ता चाहा जा रहा है उस सडक से मुझ अप्रार्थी की भूमि करीब 4 फुट नीचे है व वहां पर खेजडी, जण्डी के वृक्ष खडे हुए है एव फसल बिजान की हुई है तथा प्रार्थी के रहवास रामसिंहपुर से बिल्कुल विपरीत दिशा में उक्त सडक स्थित है जबकि रामसिंहपुर से प्रार्थी की भूमि को जोडने वाला रास्ता 56जीबी बी की भूमि में स्थित है उसी का उपयोग प्रारम्भ से ही प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए किया जा रहा है मात्र मुझ अप्रार्थी को नाजायज तंग परेशान करने व मेरी भूमि को औने पौने दामो मे खरीद करने के लिए लालचवंश यह प्रार्थना पत्र झूठा, बेबुनियाद आधारहीन पेश किया है। प्रार्थी न तो खातेदार है और न ही सहखातेदार है न ही काश्तकार है और न ही वांछित रास्ता किसी प्रकार सुगम व सक्षम है बल्कि बिल्कुल विपरीत दिशा में स्थित होने से अत्याधिक लम्बा घुम[illegible] मेरी भूमि को औने पौने दामो में खरीद करने के लिए मेरे पर [illegible] हेतु यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया [illegible] चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी जब न तो खातेदार [illegible] है तो ऐसी सूरत में रास्ता स्वीकृति हेतु अनतानी प्रार्थना पत्र 251ए [illegible] टी.ए. में लाने का अधिकारी नहीं है और न ही ऐसा प्राथना पत्र जो खातेदार की ओर से न हो उसे सुनने का ही क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय का है चूँकि 251ए आर.टी. ए के प्रावधानो में मात्र खातेदार को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश हेतु सुगम

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:04 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता दिये जाने के लिए सुनवाई के अधिकार ही माननीय न्यायालय को प्रदान किये गये है न कि आमजन के लिए रासता स्वीकृति का क्षेत्राधिकार इन प्रावधानो में दिया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है। प्रार्थी लाजपतराम प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि के न तो खातेदार है और न ही सहखातेदार है बल्कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अभिषेक व रविन्द्र के नाम से अंकित है इसलिए प्रार्थी लाजपतराम अनवानी प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है। प्रार्थना पत्र में मु.न. 5 के अलावा मु.न. 4 में भी उसी खातदार की अन्य भूमि भी है जिसका इन्द्राज प्रार्थना पत्र में नहीं किया जाकर तथ्य छिपाये गये है गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया जाने व मु.न. 4 के रकबा के साथ सलंग्न अन्य वैकल्पिक रास्ता आदि के बारे में जॉच नहीं करवायी गयी होने से भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। लाजपतराम की मृत्यु करीब 2 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हो चुकी है एव प्रार्थना पत्र नियमित रूप से सुनवाई में आ रहा है एंव प्रार्थी जरीये अधिवक्ता उपस्थित हो रहे है जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की समस्त जानकारी लाजपतराम व उनके विधिक उत्तराधिकारीयो को प्रारम्भ से है इसलिए प्रार्थना पत्र अबैट हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है। वांछित रास्ता किसी प्रकार सुगम रास्ता नहीं है बल्कि बिल्कुल विपरीत दिशा में पडने वाला काफी लम्बा एंव घुमावदार है लाजपतराम का परिवार रामसिंहपुर में निवास करता है रामसिंहपुर से उक्त भूमि को जोडने वाला रासता 56 जीबी बी की भूमि में से है जिसका ही उपयोग प्रारम्भ से किया जा रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में 56जीबी बी की भूमि से रास्ता प्राप्ति हेतु पेश किया जाना चाहिए मात्र रंजिशवश मेरी भूमि को आने पोने दामों में खरीद करने के लिए मेरे पर दबाव बनाने हेतु यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है। जो काबिले खारिजी के है। प्रार्थी के द्वारा अन्य सुगम रास्तो के बारे में भी प्रार्थना पत्र में आवश्यक जिक नहीं किया है। चूँकि लाजपतराम का देहान्त हो जाने से प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है इसलिए अप्रार्थी परिवर्तित परिस्थितियों में अपनी जवाबदेही सुरक्षित रखता हूँ। प्रार्थी लाजपतराम का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

3. पटवारी हल्का एव भू अभिलेख निरीक्षक वृत कूपली से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी जो कि रिपोर्ट दिनाक 12.03.2022 व 28.02.2023 पेश हुई। स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी कि.नं. 1–2–3–4 में से 1–1 बिस्वा रास्ता चाहते हैं, मौके पर उक्त कि. नं. में फसल खडी है। लगभग 2 वर्ष पूर्व उक्त रकबे में से रास्ता चालू था जो अब पूर्णत: बंद है। कि.नं. 1 में गेट बना है व रास्ते की वांछित भूमि में दो खेजडी के पेड है। अन्य किसी प्रकार की बाधा वांछित रास्ता में नहीं है। रास्ते की परम आवश्यकता है। अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। न्यूनतम व निकटतम मार्ग व्यवहारिक है।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है, वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। प्रार्थी द्वारा वांछित मार्ग में से ही पूर्व में अप्रार्थी के सहमति से आवागमन किया जाता था लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा उक्त मार्ग बन्द कर दिया गया है प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया [illegible] अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते [illegible] प्रार्थी लाजपतराम की मृत्यु हो जाने के कारण [illegible] कारण प्रार्थना पत्र विचारण योग्य नहीं है। [illegible] प्रवेश हेतु रास्ता की मांग की जा रही है वह लाजपतराम के नाम से [illegible] में दर्ज नहीं होने से प्रकरण धारा 251 ए राजकाश्त अधि. के तहत विधि अनुसार नहीं है ना ही प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य अंकित किये गये है वांछित मार्ग की भूमि पर कभी रास्ता चालू नहीं रहा है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तथा प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:04 IST
Reason: SelfAttested

के नियत स्थान से अनुपगढ़ तहसील के ग्राम 56 जीबी की भूमि में से होते हुए प्रार्थी अपनी भूमि में स्वीकृतशुदा मार्ग से प्रवेश करता है। ऐसे में रास्ता की उपलब्धता होते हुए और रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित स्थल / वांछित रास्ता की भूमि के संबंध में मौका निरीक्षण किया गया। अप्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति प्रकट की गयी है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी लाजपतराम की मृत्यु हो जाने से अबेट हो जाने तथा जिस भूमि में प्रवेश हेतु मार्ग चाहा गया है वह भूमि रविन्द्र छाबड़ा व अभिषेक के नाम से रिकार्ड में दर्ज हो जाने एवं लाजपतराम भूमि के खातेदार नहीं होने से प्रार्थना पत्र विचारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान प्रार्थी लाजपतराम की मृत्यु हो जाने पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 – 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया है जिससे मृतक प्रार्थी के विधिक प्रतिनिधियों प्रार्थी सं. 1 / 1–1 / 2 को प्रार्थी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, राजस्व रिकार्ड में भूमि भी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है जिसे स्वयं अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया गया है। ऐसे में मृतक पक्षकार के स्थान पर विधिक प्रतिनिधियों की प्रतिस्थापना होने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र फलहीन नही हो जाता है न ही प्रार्थीगण के अधिकार समाप्त हो जाते है। अप्रार्थी के द्वारा एक अन्य आपत्ति प्रकट की गयी है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के प्रयोजनार्थ स्वीकृतशुदा मार्ग उपलब्ध है प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. नि. एवं दौराने निरीक्षण पीठासीन अधिकारी को वैकल्पिक मार्ग अथवा प्रार्थी की भूमि को स्वीकृतशुदा मार्ग लगने का अभाव पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा भी अपने उक्त कथन के संबंध में जमाबंदी चक 56 जीबी वी खताा सं. 1 प्रस्तुत तो की गयी है लेकिन इससे यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि प्रार्थी की भूमि को मार्ग किसी प्रकार उपलब्ध है। ऐसे में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि रास्ते की परम आवश्यक्ता है व प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए नही होकर अत्यांतिक आवश्यतता की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

-: आदेश :-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 19 एएस तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नम्बर 5 पत्थर नम्बर 232 / 464 के किला नम्बर 1–2–3–4 प्रत्येक में उत्तर साईड में पत्थर लाईन के साथ–साथ सवा आठ फुट चौड़ाई(1–1 बिस्वा) का रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे मार्ग मे आने वाले वृक्षों को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएगा। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते में आई भूमि की एवज में रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि मुआवजा के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर रास्ता में आई भूमि एवं उस पर प्रतिकर राशि की गणना कर नियमानुसार प्रार्थी से राशि जमा करवा अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक .10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर